न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या – 22/20 | पीठासीन अधिकारी
रज्जू दिनांक 03–08–2020 | **श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)**

1. कैलाश पुत्र पून्या
2. हरप्यारी पत्नी केलाश
3. रामलखन पुत्र हरी
4. रघुनाथ पुत्र पून्या
5. रामकेश पुत्र परसादी
6. महेन्द्र पुत्र परसादी
7. कुपुरी पत्नी परसादी

समसत जाति मीना निवासी ग्राम खानुपर तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रार्थीगण)

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय लालसोट जिला दौसा

(अप्रार्थी)

निर्णय

दिनांक : 14-6-22

संक्षिप्त मे इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 154 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम खानपुर तहसील लालसोट प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है जिसका प्रार्थीगण उपयोग उपभोग व काश्त कर सरकारी लगान अदा करते आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 154 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध ताल्लुक या वास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त भूमि की डोल मेड के सम्बन्ध में पडौसी खातेदारो से आये दिन विवादो का सामना करना पड़ता है तथा पडौसी खातेदार प्रार्थीगण की डोल मेड को ध्वस्त करके प्रार्थीगण की भूमि को दबाने की नियत रखते है। आये दिन पडौसी खातेदारो से होने वाले विवादो को दृष्टिगत प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 मे वर्णित अपनी आराजीयात का सीमा ज्ञान करवा कर पत्थर गढी करवाना चाहता है जिससे कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की परेशानियो का सामना न करना पडे। अनावश्यक विवादो से बचने के लिए पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई व रिपोर्ट तहसीलदार अप्रार्थी ली गई जिस पर अप्रार्थी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की एवम् अपनी रिपोर्ट मे अंकन किया कि भूमि कैलाश, हरप्यारी, रामलखन, रघुनाथ, रामकेश, महेन्द्र, कुपुरी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पडौसी खातेदारो के विवाद के कारण पत्थरगढी करवाना चाहते है। मौके पर भूमि खाली है। एव न्यायालय का स्थगन नही है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि दो कुशल गिरदावरो/पटवारीयान की टीम गठित कर विवादित आराजी खसरा नं0 154 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा भूमि वाके ग्राम खानपुर तहसील लालसोट का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करावे एवं आवश्यकता पडने पर पुलिस थाना मण्डावरी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। एव राजकीय शुल्क नियमानुसार प्रार्थी से प्राप्त करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/6/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दप्तर हो।

(मोहरसिंह मीना)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)